	[illegible] [illegible] हेतु दिनांक 23-8-19 को पेश हो
26-8-19	पत्रावली आज पेश हुई दिनांक ~~18~~ 23-8-19 को राजकीय अवकाश घोषित होने से वास्ते सम्यक कार्यवाही पत्रावली 18-10-19 को पेश हो
18-10-19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील अप्रार्थी की ~~[illegible]~~ मूलचन्द पैरवी वास्ते बहस पत्रावली 13-12-19 को पेश हो
13-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित बहस प्रार्थना पत्र धारा 212 RTA पर सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 20-12-19 को पेश हो
20-12-19	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA पर आदेश सुनाया गया प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल किया गया पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर सलंग्न मूल वाद रहे। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी जिला बून्दी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थना पत्र 97 / 2015 — पीठासीन अधिकारी

दायरा दिनांक : 11 / 2015 — जनक सिंह (RAS)

बउनवान

1. रामनारायण आ0 धूलीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपूरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2. राजाराम आ0 धूलीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपूरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
3. रामप्रसाद आ0 धूलीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपूरा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. मोतीलाल आ0 बजरंग लाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ
2. कालूलाल आ0 मोतीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ
3. मीठालाल आ0 मोतीलाल लाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ
4. श्रीमति रामी बाई पत्नी मोतीलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ
5. श्रीमति रामपति पत्नी कालूलाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ
6. श्रीमति रामीजानकी पत्नी मीठालाल जाति मीणा निवासी कोलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ

—अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः — श्री मोहम्मद शरीफ एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

श्री सुरेश कुमार वर्मा एडवोकेट अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय — दिनांकः — 20.12.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तगर्त 212 आर टी एक्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी स. 1 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं 59 / 3 रकबा 0.30 हैक्टर ख.स. 61 / 3 रकबा 0.20 ख.स. 105 / 2 रकबा 0.24 किता 3 कुल रकबा 0.74 प्रार्थी स. 2 के खाते मे ख.स 59 / 2 रकबा 0.30 ख. स 61 / 2 रकबा 0.20 किता 2 कुल रकबा 0.50 प्रार्थी स. 3 के खाते मे ख.स 59 / 1 रकबा 0.30 ख. स 61 / 2 रकबा 0.21 हैक्टर किता 2 रकबा 0.51 वाके ग्राम कौलाशपुरा तहसील इन्द्रगढ जिला

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

बून्दी मे स्थित है। जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण सभी एक ही परिवार के लडाकू बदमाश किस्म के व्यक्ति है अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 शेष महिला अप्रार्थीगण एक गिरोह तैयार कर रखा है जो प्रार्थीगण की चरण स. 1 मे वर्णित आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है । दिनांक 24.08.2015 को जब प्रार्थीगण खेत मे ट्रेक्टर से हकाई जुताई कर रहे थे तभी अप्रार्थीगण मौके पर आए प्रार्थीगण को खेत से जबरन निकल जाने की धमकी देने लगे। महिला अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी की यदि तुमने भूमि से कब्जा नही छोडा तो हम तुम तीनो भाइयो को बलात्कार के झूठे मुकदमे मे जेल भिजवा देगे और भूमि पर कब्जा कर लेगे। अप्रार्थीगण का चरण स. 1 मे वर्णित आराजी पर किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नही है। जबरन ताकत के बल पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को वर्णित आराजी से बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। अप्रार्थीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। और अन्त मे प्रार्थना की गई की अप्रार्थीगण को दौरानेवाद जरिये निषेधाज्ञा से पाबंद फरामाया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्र्ड किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण स. 1 लगायत 5 की ओर से प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस सुनी गई प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सुनी गई बहस मे तर्क दिया कि प्रार्थीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक दर्ज होकर काबिज काश्त है लेकिन अप्रार्थीगण उनको बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा है। दिनांक 24.08.2015 को भी अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कब्जा करने की धमकी दी गई थी। प्रार्थीगण का केस प्रथम दृष्टया प्रमाणित है अंत मे प्रार्थना की गई की प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाए।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस का विरोध करते हुए तर्क दिया की प्रार्थीगण के मध्य दूरभि संधि है प्रार्थीगण वाद विषयक आराजी के सहखातेदार कृषक नही होकर व्यक्तिगत रूप से अलग अलग खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदार कृषक है। इस कारण अलग अलग खसरा न. बाबत अलग अलग प्रार्थना पत्र व दावा प्रस्तुत किया जाना था लेकिन प्रार्थीगण की ओर से सामुहिक प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । प्रार्थीगण ने अपने प्रर्थाना पत्र मे किस खसरा नम्बरान की भूमि पर अप्रार्थीगण कब्जा करना चाहते है के संबन्ध मे कोई अभिवचन नही किए गए है न ही बहस के दौरान स्पष्ट किया गया अप्रार्थीगण कब्जा करने पर आमादा है इस बाबत कोई पुलिस रिपोर्ट पत्रावली पर पेश नही की गई अंत मे प्रार्थना की गई प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमारे द्वारा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 खाता स. 108 मे ख. न. 69/3 का खातेदार रामनारायण जो प्रार्थी स. 1 है खाते स. 102 मे वर्णित ख.न. 61/2 मे खातेदार राजाराम प्रार्थी स. 2 है खाता स. 111 मे वर्णित ख. स. 61/2 रकबा 0.51 हैक्टर का खातेदार प्रार्थी स. 3 रामप्रसाद है । प्रस्तुत जमाबंदियो का अवलोकन किए जाने पर प्रार्थीगण वाद

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

विषयक आराजी के सहखातेदार कृषक नही होना पाया जाता है इस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खाता संख्या 108, 102 व 111 मे वर्णित कृषि भूमि बाबत कानूनन पोषनीय नही होना पाया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र मे यह स्पष्ट नही किया गया की अप्रार्थीगण किस खसरा न. की भूमि पर कब्जा करना चाहते है। प्रार्थना पत्र कानूनन पोषनीय नही होने से केस प्रथम दृष्टया प्रामाणित नही होना पाया जाता है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 212 आर टी एक्ट खारिज किया जाता हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी